अनुक्रमणिका

१)	संपादक की कलम से	७
२)	सरकार तथा न्यायपालिका का अनु.जाति-जनजाति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की चेतावनी	९
३)	आरक्षण खतरे में : सरकारी सेवाओं तथा शिक्षा संस्थाओं का आरक्षण बचाओ	१३
४)	प्राकृतिक तथा सामाजिक न्याय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के फैसले	१९
	उच्चतम न्यायालय के कुछ आरक्षण विरोधी फैसले	२०
	आरक्षण विरोधी कुछ कार्यालयीन ज्ञापन	२१
५)	आरक्षण बचाओ - मा. रामराज का भाषण	२४

आरक्षण विरोधी कार्यालय ज्ञापन

३०/१/९७	DOPT OM No. 20011/1/96 Estt. Dt. 30/1/97 सामान्य श्रेणी के कर्मचारी भले ही आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के बाद पदोन्नति पाते हो, फिर भी वे आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ठ माने जाएंगे।	३१
२/७/९७	DOPT OM No. 36012 / 2 / 96 Estt.-(Res.) Dt. 2 / 7/ 97 रिक्तता के आधार पर विद्यमान आरक्षण को रद्द करते हुए पदों के आधार पर आरक्षण की नयी व्यवस्था: पुरानी रोस्टर पद्धति बदल दी गयी।	३३
२२/७/९७	DOPT OM No. 36012 /23 /९६ Estt.-(Res.) Dt. 22 / 7 / 97 विभागीय परीक्षा में अनु. जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को कुछ अंकों/ग्रेस मार्क की छूट निरस्त।	३८

१३/८/९७	DOPT OM No. 38012 / 18 /95 Estt.- Res. Pt II Dt. 13 / 8 / 97 पदोन्नति में आरक्षण केवल प्रथम श्रेणी के निचले स्तर तक ही।(७७ वे संविधान संशोधन का खुला उल्लंघन)	४०
२९/८/९७	DOPT OM No. 336012 / 5 / 97 Estt.-Res. Dt. 29 / 7 / 97 विशेष भर्ती अभियान वापस । रिक्त पदों में से केवल ५०% ही पद आरक्षित होने से विशेष भर्ती अभियान रद्द.	४१
१/१/९८	DOPT OM No. 36036 / 2 / 97 Estt.-Res. Dt. 1 / 1 / 98 अनु. जाति-जनजाति आयोग के अधिकार समाप्त कर दिये गये ।	४३

आरक्षण विरोधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय

इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ४५
(केवल अनु. जाति-जनजाति के पदोन्नति से सम्बन्धित प्रश्न क्र. ७)

आर. के. सबरवाल विरुद्ध पंजाब सरकार ५२
(संपूर्ण)

वीरपाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार ६१
(केवल महत्वपूर्ण अंश)

पोस्ट ग्रेज्युएट इन्सि. ऑफ मेडिकल एज्युकेशन ६२
अँड रिसर्च, चंडीगड़ विरुद्ध फैकल्टी एसो.
(केवल महत्वपूर्ण अंश)